

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
—::आदेश::—

ग्रामीण कार्य विभाग, प्रशाखा-2 एवं 3 अंतर्गत पदाधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना/जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के अधीन संचालित विभिन्न विभागीय कार्यवाहियों में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में डॉ० फातेह फैयाज, संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना नियुक्त थे।

डॉ० फातेह फैयाज के दिनांक 31.01.2025 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप ग्रामीण कार्य विभाग, प्रशाखा-3 अंतर्गत श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को एवं ग्रामीण कार्य विभाग, प्रशाखा-2 अंतर्गत श्री कुमार अनिल सिन्हा, संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना/जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के अधीन संचालित विभिन्न विभागीय कार्यवाहियों में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापक :- 2/अ0प्र0-8-12/2023 1701 /पटना, दिनांक :- 7-2-25

प्रतिलिपि :-अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री कुमार अनिल सिन्हा, संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-8-12/2023 1701 /पटना, दिनांक :- 7.2.25
प्रतिलिपि :- मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना/संबंधित जाँच आयुक्त, बिहार,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सूचिका
ग्रामीण कार्य विभाग